No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 22.01.2021

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2020 is enclosed for information.

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF DECEMBER 2020

1. Notifications/Order:-

i. Vide notification dated 30.12.2020, the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, have been amended to allow companies an additional period of six months i.e. upto 30.06.2021, to conduct Board Meetings through Video Conference (VC) or other audio visual means for passing resolutions in respect of matters which were earlier required to be passed in meetings with physical presence of directors. (Notification No.G.S.R. 806(E)).

ii. Vide notification dated 17.12.2020, the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 have been amended by inserting rule 26 A which provides for purchase of minority shareholding held in demat form. (Notification No. G.S.R. 773(E)).

iii. Vide notification dated 18.12.2020, the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 have been amended. The term period within which an individual has to pass the online proficiency self-assessment test conducted by the institute has been raised to two years. The qualifying criteria for individuals who shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test has also been amended. The minimum percentage required for passing the online proficiency self-assessment test has been reduced from sixty to fifty percent. (Notification No. G.S.R. 774(E)).

iv. Vide notification dated 21.12.2020, 45 sections out of the total 65 sections of the Companies (Amendment) Act, 2020 were brought into force. (Notification No. S.O. 4646(E)).

v. Vide order dated 17.12.2020, the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 has been amended to extend the applicability of CARO, 2020 and made it applicable for the audit of financial statements of financial year 2021-22 and onwards. (Order No. S.O. 4588(E)).

vi. Vide notification dated 24.12.2020, the Companies (Incorporation) Rules, 2014 have been amended by inserting a new rule 9A which provides that the Registrar shall extend the period of a name reserved under rule 9 by using web service SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus: INC-32) up to 40 to 60 days from the date of approval under rule 9 on payment of requisite fees. The Part-A of SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus FORM NO. INC-32) has also be been substituted. (Notification No. G.S.R. 795(E)).

(vii) Vide notification dated 24.12.2020, the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 have been amended to substitute e-form SH-7 (Notice to Registrar of any alteration of share capital), which may now be used for the purpose of filing the information with respect to cancellation of unissued shares of one class and increase in shares of another class. (Notification No. G.S.R. 794(E)).

2. Circulars:-

(i) A General Circular has been issued on 01.12.2020, in continuation to this Ministry's General Circular No. 29/2020 dated 10.09.2020. Through the said circular, the last date of submission of cost audit report for Financial Year 2019-20 by the cost auditors to the management has been extended upto 31.12.2020. (General Circular No.38/2020, dated 01.12.2020).

(ii) A General Circular has been issued on 31.12.2020, in continuation to this Ministry's General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, No.17/2020 dated 13th April, 2020, No.22/2020 dated 15.06.2020 and No.33/2020 dated 28.09.2020. Through the said circular, the companies have been allowed to conduct their EGMs through VC or OAVM or transact items through postal ballot in accordance with the framework

provided in the aforesaid Circulars upto 30th June, 2021. (General Circular No.39/2020, dated 31.12.2020).

3. A notification vide no. S.O. 4638 (E) dated 22.12.2020 has been notified under section 10A of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 to further extend temporary suspension of initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) by another 3 months i.e. upto 24.03.2021.

4. Competition Commission of India:

- During the month, the Commission received fourteen (14) fresh notices u/s 6 (2) of the Act pertaining to Combinations and approved ten (10) Combination cases. With this, total 817 notices [804 u/s 6 (2) and 13 u/s 6 (5) of the Act] have been filed till December 2020 out of which 803 cases have been disposed of within stipulated time.
- Furthermore, the Commission received eight (08) new cases and decided a total of five (05) cases u/s 19 of the Act for alleged violation of S.3 & 4 during the month. With this, the total number of cases filed up to December 2020 stands at 1115 and 957 cases have been decided.
- The Commission carried out Competition Assessment of 9 Model Concession Agreements (MCAs) of NITI Aayog under Public-Private-Partnership (PPP) framework in various infrastructure and public service delivery sectors for submission to the NITI Aayog.

सं.सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 22.01.2021

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिसंबर, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(प्रशांत रस्तोगी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. निदेशक (एनआईसी)- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह दिसंबर, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1). अधिसूचना/आदेश :-

i. उन मामलों के बारे में संकल्प पारित किए जाने के लिए, जिन्हें पहले निदेशकों की वास्तविक मौजूदगी में आयोजित बैठकों के जरिए पारित किया जाना अपेक्षित था, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य संसाधनों के माध्यम से बोर्ड की बैठकें आयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ कंपनियों को छह माह अर्थात् 30.06.2021 तक की अतिरिक्त अवधि दिए जाने के निमित्त कंपनी (बोर्ड के बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 में दिनांक 30.12.2020 की अधिसूचना के द्वारा संशोधन किए गए हैं। [अधिसूचना सं. सा.का.नि. 806(अ)]

ii. दिनांक 17.12.2020 की अधिसूचना के द्वारा डी-मेट प्ररूप में अल्पसंख्यक शेयरों की खरीद के लिए उपबंध करने वाले नियम 26क को अंतःस्थापित करते हुए कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 में संशोधन किए गए हैं। [अधिसूचना सं. सा.का.नि 773(अ)]

iii. दिनांक 18.12.2020 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) में संशोधन किए गए हैं। उस निर्धारित अवधि को जिसके भीतर संबंधित व्यक्ति को संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पास करनी होती है, उसकी अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऑनलाइन दक्षता स्वमूल्यांकन परीक्षा पास नहीं करनी है, उनके लिए अर्हता मानदंडों में भी संशोधन किया गया है। ऑनलाइन दक्षता स्वमूल्यांकन परीक्षा पास किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता को साठ से घटाकर 50 कर दिया गया है। [अधिसूचना सं. सा.का.नि. 774(अ)]

iv. दिनांक 21.12.2020 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 की कुल 65 धाराओं में से 45 धाराओं को प्रवृत्त किया गया है। [अधिसूचना सं. का.आ. 4646(अ)]

v. दिनांक 17.12.2020 के आदेश द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 में सीएआरओ, 2020 की अनुप्रयोज्यता को विस्तारित करने के लिए संशोधन किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 और उससे आगे की अवधि से जुड़े वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा के लिए अनुप्रयोज्य किया गया है। [आदेश सं. का.आ. 4588(अ)]

vi. दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में नए नियम 9क को अंतःस्थापित करके संशोधित किया गया है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पंजीयक अपेक्षित शुल्क का भुगतान किए जाने पर नियम 9 में अनुमोदन की तारीख से 40 से 60 दिनों तक वेब सर्विस स्पाइस+ (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप प्लस : आईएनसी-32) का उपयोग करके संशोधन किया गया है। स्पाइस+

(कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप प्लस : आईएनसी-32) के भाग क को भी प्रतिस्थापित किया गया है। [अधिसूचना सं. सा.का.नि. 795(अ)]

vii. दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में ई-प्ररूप एसएच-7 (शेयर पूंजी में किसी परिवर्तन का रजिस्ट्रार को नोटिस) को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है जिसे अब एक वर्ग के गैर-निर्गत शेयरों के निरस्तिकरण और दूसरे वर्ग के शेयरों में वृद्धि की बाबत सूचना फाइल करने के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जा सकता है। **[**अधिसूचना सं. सा.का.नि. 794(अ)**]**

2. परिपत्र

(i) दिनांक 01.12.2020 को इस मंत्रालय के 10.09.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 29/2020 के अनुक्रम में एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया है। उक्त परिपत्र के जरिए लागत लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की बाबत प्रबंधन को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तारीख को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया है। (01.12.2020 की सामान्य परिपत्र सं. 38/2020)

(ii) दिनांक 31.12.2020 को इस मंत्रालय के 08 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, 15.06.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 और 28.09.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 के अनुक्रम में एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया है। उक्त परिपत्र के जरिए कंपनियों को ये अनुमति दी गई है कि वे वीसी अथवा ओएवीएम के जरिए अपने एजीएम को संचालित करें अथवा 30 जून, 2021 तक उपर्युक्त परिपत्रों (31.12.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020) में की गई व्यवस्था के अनुसार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मदों का लेन-देन करें।

3. अन्य तीन माह अर्थात् 24.03.2021 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को प्रारंभ करने संबंधी प्रक्रिया से जुड़े अस्थायी निलंबनकाल की अवधि को और अधिक विस्तारित करने के प्रयोजनर्थ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10क के तहत 22.12.2020 के 4638(अ) के द्वारा अधिसूचना को अधिसूचित किया गया है।

4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- विचाराधीन माह के दौरान आयोग में संयोजनों से संबंधित अधिनियम की धारा 6(2) के तहत चौदह (14) नए नोटिस और दस (10) संयोजन मामले आयोग को प्राप्त हुए हैं। इसके साथ दिसंबर, 2020 तक कुल 817 नोटिस (अधिनियम की धारा 6(2) के तहत 804

और धारा 6(5) के तहत 13) को दायर किया गया है जिनमें से निर्धारित समय के भीतर 803 मामलों को निपटा दिया गया है।

- इसके अलावा, आयोग को आठ(08) नए मामले भी प्राप्त हुए और उसने विचाराधीन माह के दौरान एस.3 और 4 के कथित उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 19 के तहत कुल पांच (05) मामलों पर निर्णय लिया है। इसके साथ, दिसंबर, 2020 तक दायर किए गए मामलों की कुल संख्या 1115 हो गई है तथा 957 मामलों पर निर्णय ले लिया गया है।
- आयोग ने नीति आयोग में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजनार्थ विभिन्न अवसंरचनाओं और सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रदाय क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) कार्यव्यवस्था के तहत नीति आयोग के नौ मॉडल रियायत करारों (एमसीए) से संबंधित प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन कार्यों को निष्पादित किया है।

****